

हुकम

18/21 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित।
अधिवक्ता उभयपक्ष की वहाँ पूर्व में सुनी जा चुकी है।
पत्रावली वास्ते आदेश दि. 01/09/2021 को पेश हो।

22/10/21

पत्रावली प्रस्तुत गाँवों के संग अमियान
कैम्प 21/10/21 में पेश हुई। प्रस्तुत
वास्ते सेवादी अधिकार प्रसारण गाँवों
के संग अमियान में पशुकरानों के बीच
आपसी सहमति नहीं होने से पत्रावली
आगामी दिनांक 27/12/21 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगाड़

7/2/022

पत्रावली प्रस्तुत हुई, अमि वही प्रतिवादी उपस्थित
पत्रावली अधिवक्ता रिटल पेश है।
पत्रावली वास्ते 16/5/22 आयन्दा दिनांक 16/5/22
को पेश हो।

16/5/22

पत्रावली प्रस्तुत गाँवों के संग प्रतिवादी उपस्थित
पत्रावली अधिवक्ता अन्य कार्य में व्यस्त है।
पत्रावली वास्ते 16/5/22 आयन्दा दिनांक 3/8/22
को पेश हो।

8.6.2022 अधिवक्ता वादी के निवेदन पर पत्रावली
तलब की गई। अधिवक्ता वादी को एक पक्षीय
वहम सूनी गई। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर
सुनाया गया। पत्रावली फैनल शुमार होकर नम्बर
से कम की जावें। निर्णयानुसार रिटल सुनी हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगाड़ नि- भीलवाड़ा